न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R-3215-II/14

शिवकुमार पटेल पुत्र चरकू पटेल
निवासी ग्राम मेडियारास तहसील
व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा प्र. कं. 49 अ–3/08–09 में पारित आदेश दिनांक 25.4.09 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम चचाईवीरान में स्थित भूमि आराजी ख.नं. 79/ 1 ख जुज रकवा 1.011 हे. के तरमीम हेतु आवेदन पत्र आवेदक ने तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्र.कं. 49अ–3/08–09 पर दर्ज किया गया था। तहसीलदार अनूपपुर ने प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 20.1.09 द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को परवाना जारी किया । लेकिन राजस्व निरीक्षक ने कार्यवाही न कर हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3215–दो / 2014 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 49 / अ–3 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 25–4–2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में 17–9–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक राजेशकुमार द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम के आवेदन पर आदेश दिनांक 25–4–09 को नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक विलम्ब से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त तहसीलदार का अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। आवेदक अपील करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	